फा.सं.38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (क) खण्ड-II

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003

दिनांक 3 अक्तूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन-पेंशन/उपदान/पेंशन का संराशीकरण/कुटुम्ब पेंशन/अशक्तता पेंशन/अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त क्षतिपूर्ति का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा-उपदान/कुटुम्ब पेंशन/अशक्तता पेंशन और अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त क्षतिपूर्ति तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली 1981, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 आदि के अन्तर्गत पेंशन का संराशीकरण का विनियमन करने वाली नियमावली में आशोधन करने के लिए इस विभाग के दिनांक 2.9.2008 के कार्यालय ज्ञावन संख्या 38/37/08 पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (क) के अन्तर्गत आदेश जारी किए गए थे । उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगने के बारे में इस विभाग में उसके सन्दर्भ प्राप्त हो रहे हैं । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से परामर्श करने के मामलों पर विचार किया गया है तथा दिनांक 2.9.2008 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण/आशोधन किए गए हैं :-

क्र. सं.	दिनांक 2.9.2008 के कार्यलय ज्ञापन सं. 38/37/08पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (क) के बारे में उठाया गया मुद्दा ।	स्पष्टीकरण/अशोधन
1.	पैरा 5.2 से पैरा 5.4 क्या पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों का 50% पेंशन अथवा अन्तिम लिया गया वेतन सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए जो भी अधिक लाभकारी हो, के भुगतान हेतु छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की	(i) हॉं, वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.33 में सिफारिश की है कि 33 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूर्ण पेंशन का अनुबन्धन अलग कर देना चाहिए । ज्योंहीं कोई कर्मचारी 20 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर लेता है,

	सिफारिश, आदेश जारी होने की तारीख अर्थात् 2.9.2008 से भी लागू होंगी ।	पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों का 50 % अथवा अन्तिम लिया गया वेतन, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के लिए जो भी अधिक लाभकारी हो, पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए । पैरा 6.5.3 में, आयोग ने सिफारिश की है कि 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन के भुगतान के संबंध में सिफारिश, रक्षा बलों के पी.बी.ओ.आर. के अलावा सभी सरकारी कर्मयारियों के लिए उस तारीख से जिसकों सरकार ने इसे स्वीकार किया है केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी । पैरा 5.1.33 की सिफारिश एक पैकेज के रूप में ली जारी है और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पैरा 6.5.3 के मद्देनज़र पैरा 5.1.33 की सभी सिफारिशें भविष्यलक्षी प्रभाव से दी गई है । (ii) फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पेंशनभोगी के दिनांक 1.1.2006 के पद की पेंशन भी, उस तारीख जिसको वह सेवानिवृत्त हुआ है, वेतनबैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग का 50%(एच.ए.जी.और उससे ऊपर के मामले में वेतनमान के न्यूनतम का 50% के योग से कम नहीं होगी । उदाहरणार्थ यदि कोई पेंशनभोगी 37400-67000/-रूपए के वेतनबैंड में 10000/-रूपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन में सेवानिवृत्त हुआ है तो उसकी न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 37400 जमा 10000 का 50% होगी (अर्थात् 23700/-रूपए) उन लोगों के लिए जो 1.1.2006 और 2.9.2008 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, जहां केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972, के नियम 49 के अनुसार इस अवधि के दौरान जैसा भी लागू हो,

		पूरी पेंशन के लिए अधिकतम अपेक्षित सेवा से पेंशनभोगी की सेवा कम हुई तो पेंशन यथानुपात में कम कर दी जाएगी और किसी भी स्थिति में पेंशन 3500/-रूपए प्रतिमाह से कम नहीं होगी । यदि पेंशन की गणना केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 49 के अनुसार की गई थी जो 2.9.2008 के पहले लागू थी, उपर्युक्त दर्शाए गए तरीके से अधिक होती है तो वह पेंशन (उच्चतर पेंशन) मूल पेंशन के रूप में मानी जाएगी ।
2.	**पैरा 5.7 और पैरा 8.3** क्या पुराने पेंशनभोगियों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन 80 वर्ष अथवा उससे ऊपर आयु प्राप्त कर लेने अथवा जन्मतिथि के महीने की पहली तारीख से देय होगी ।	80 वर्ष और उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर, पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा जन्मतिथि के महीने की पहली तारीख से लागू होगी । उदाहरणार्थ यदि कोई पेंशनभागी/कुटुम्ब पेंशनभोगी अगस्त, 2008 में 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह 1.8.2008 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा, वे पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभागी भी, जिन की जन्मतिथि 01 अगस्त है, 80 वर्ष और उससे ऊपर आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 1.8.2008 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे ।
3.	**पैरा 8.2** क्या बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन के लिए भुगतान की 10 वर्ष की अवधि उस सरकारी सेवक के मामले में भी लागू होगी जिनकी मृत्यु 1.1.2006 के पूर्व हो गई थी तथा उनके सम्बन्ध में जिनका परिवार 1.1.2006 को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर रहा था ।	हाँ, बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन के भुगतान की 10 वर्ष की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से गिनी जाएगी । फिर भी, ये आदेश उस मामले में लागू नहीं होगे जहां बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन की 7 वर्ष की अवधि पहले ही 1.1.2006 को पूरी हो गई है और

		उस परिवार को, उसी तारीख को सामान्य कुटुम्ब पेंशन प्राप्त हुई थी ।
4.	पैरा-10.1 (क) क्या सतत परिचारी भत्ता 1.1.2006 अथवा आदेशो के जारी होने की तारीख अर्थात् 2.9.2008 से देय है । (ख) क्या पेशनभोगी जो 1.1.2006 से अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो गए थे, भी सतत परिचारी भत्ता के हकदार होंगे । (ग) क्या महंगाई राहत सतत परिचारी भत्ता पर मान्य होगी ।	(क) सतत परिचारी भत्ता 1.1.2006 से देय है । (ख) हॉं, वे पेंशनभोगी जो 1.1.2006 को पहले अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो गए थे और पैरा,.10.1 में उल्लिखित शर्तों को पूरा कर रहे हैं, सतत परिचारी भत्ता के भी हकदार होंगे । (ग) नहीं ।
5.	पैरा 12 वे सरकारी सेवक जो 1.1.1996 से 10 महीने के भीतर सेवानिवृत्त हो गए थे, औसत परिलब्धियों की गणना के लिए 1996 पूर्व मूल वेतन का बढ़े हुए 40% के नोसनल लाभ के लिए अनुमत थे । क्या वैसा ही लाभ उन सरकारी सेवकों के मामले में भी दिया जाएगा जो 1.1.2006 के बाद संशोधित वेतन ढांचे में आने की तारीख से 10 माह के भीतर सेवानिवृत्त हो गए हैं ।	उन सरकारी सेवकों जिन्होंने संशोधित वेतन बैंड में वेतन नियत करने का विकल्प लिया है, और संशोधित वेतन बैंड में आने की तारीख से 10 माह के भीतर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, के मामले में औसत परिलब्धियों की गणना के लिए सेवानिवृति से पूर्व 10 महीने की अवधि का मूल वेतन की गणना निम्नलिखित के अनुसार ध्यान देते हुए की जाएगी :- (i) उस अवधि के लिए जिसके दौरान संशोधित वेतन ढॉचे में वेतन लिया जाता है- निर्धारित वेतन बैंड में लिया गया वेतन जमा लागू ग्रेड वेतन अथवा एच.ए.जी + और उससे ऊपर के मामले में वेतनमान में वेतन ।

		(ii) उस शेष अवधि के लिए जिसके दौरान संशोधन पूर्व वेतनमान में वेतन लिया गया है- (क) मूल वेतन जमा महंगाई वेतन तथा संगत अवधि के दौरान लिया गया 1.1.2006 को लागू दर पर मूल वेतन का उपर्युक्त वास्तविक मंहगाई भत्ता ।
6.	**पैरा 13 (ii)** **क्या उन सरकारी सेवकों के लिए परिलब्धियों के 50% की दर से पेंशन की गणना का लाभ उपलब्ध होगा जो संशोधन पूर्व वेतनान को प्रतिधारित करते हैं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान से सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं ।**	दिनांक 2.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08 पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (क) का निर्धारित पैरा 13(ii) उनके मामले में लागू होगा जो 2.9.2008 को अर्थात, उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं । उन सरकारी सेवकों जो संशोधन-पूर्व वेतनमान को प्रतिधारित करते हैं तथा 1.1.2006 और 2.9.2008 के मध्य संशोधन पूर्व वेतनमान से सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं, की पेंशन की गणना 2.9.2008 से पूर्व तत्काल लागू आदेशों के अनुसार औसत परिलब्धियों के 50% पर की जाएगी । पैरा 13(ii) इस सीमा तक आशोधित बना रहेगा ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के संशोधन के मामले निपटाते समय स्पष्टीकरण को ध्यान में रखें । उन्हें उपर्युक्त मुद्दों पर पेंशनभोगी से उनको प्राप्त अभ्यावेदनों को, इस विभाग में उनके भेजने के बिना निपटाने की सलाह दी जाती है ।

3. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से दिनांक 30.09.2008 के.आई.सी.यू.ओ. सं. 4.2/22/2008-आई.सी के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है ।

(एम.पी.सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
टेलीफैक्स सं. 24624802

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग